

- 3- उक्त गाटा संख्या को वन विभाग के पक्ष में लिये जाने के समय तक यदि प्रस्तावित गाटा / रकबा व सह खातेदार के नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित गाटा संख्या/क्षेत्रफल को अभिलेखों एवं भीके पर तरमीमीकरण की कार्यवाही में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो यह अनापत्ति प्रमाण-पत्र निरस्त कर दिया जायेगा ।
- 4- उक्त गाटा संख्या व उससे संबंधित क्षेत्रफल को वन विभाग द्वारा कब्जा प्राप्त करने के उपरान्त धारा-4 की दिज्ञप्ति जारी किये जाने हेतु प्रस्ताव उच्च स्तर के माध्यम से उ०प्र० शासन को प्रेषित किया जायेगा । उ०प्र० शासन स्तर से जो भी इस संबंध में आपत्ति लगाई जायेगी उसके निराकरण का दायित्व प्रयोक्ता अभिकरण का होगा ।
- 5- उक्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र के संबंध में किसी भी स्तर से यदि कोई आपत्ति प्राप्त होती है और जॉचोपरान्त सही पाया जाता है तो यह अनापत्ति प्रमाण-पत्र निरस्त कर दिया जायेगा तथा किसी भी क्षतिपूर्ति आदि के लिए प्रयोक्ता अभिकरण स्वयं जिम्मेदार होगा ।

भवदीय

(मनमोहन मिश्र)
प्रभागीय वनाधिकारी
रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट

संख्या- 373 अ/सम दिनांकित ।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- उप प्रभागीय वनाधिकारी, म्योरपुर ।
- 2- क्षेत्रीय वन अधिकारी विण्डमगंज एवं म्योरपुर ।

(मनमोहन मिश्र)
प्रभागीय वनाधिकारी
रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट